# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(मु.), डीडवाना-कुचामन

क्रमांकः-कोर्ट/रीडर/24/ 176 दिनांकः-26-02-2024

प्रेषिति-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर

विषय: परिवाद संख्या 16/2022 अनुवान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम श्री भगवान बजाज में निर्णय दिनांक 22.02.2024 की अनुपालना बाबत।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ सलंग्न प्रेषित है। अभियुक्त को आदेश की प्रति भेज कर फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड रूल्स 2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन कर अपराध कार्य करने एवं अपराध कार्य करने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के प्रावधान अनुसार **अभियुक्त श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्यनारायण बजाज मैसर्स बजाज एंड कम्पनी, छोटी खाटू से आरोपित राशि 8,000/- रूपये अक्षरे आठ हजार रूपये व श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल गोस्वामी मैसर्स श्री विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, डीडवाना से आरोपित राशि 7,000/-रूपये अक्षरे सात हजार रूपये** राशि वसूल कर निम्न बजट हैड में जमा करवाया जाकर चालान की प्रति इस न्यायालय को भिजवाई जावें तथा संबंधित अभियुक्त को राशि जमा होने के पश्चात चालान की फोटो प्रति भिजवाते हुए सूचित किया जावें।

| | |
|---|---|
| 0210 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य |
| 04 | लोक स्वास्थ्य |
| 800 | अन्य प्राप्तियां |
| (3) | खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि। |
| **Q NO. 2147** | |

सलंग्नः- उपरोक्तानुसार निर्णय की प्रति एक

(श्योराम वर्मा)
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(मु.)**
**डीडवाना-कुचामन**

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी,डीडवाना- कुचामन**
**पीठासीन अधिकारी :- श्योराम वर्मा, आरएएस**
**प्रकरण संख्याः- 16/2023**
**आवेदकः-**

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

अभियुक्तगण :-

1. श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज(खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक) मैसर्स बजाज एंड कंपनी, मैन चौराहा रोड, छोटी खाटू।

2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल गोस्वामी (मालिक) मैसर्स श्री विजयलक्ष्मी ट्रेडर्स, शॉप न.10, दोजराज गणेश मंदिर रोड, डीडवाना

**'अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006'**

उपस्थिति :-

1. अभियुक्त श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज
2. अभियुक्त श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल गोस्वामी
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

-निर्णय- *दिनांक :- 22.02.2024*

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2023 को समय 11:00 ए.एम. पर फर्म मैसर्स बजाज एंड कंपनी, मैन चौराहा रोड, छोटी खाटू में पहुंचा। वंहा पर श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज मिले। जिनको अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज, मालिक की हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया। खाद्यकारोबारकर्ता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर घी (हरयाणा किंग) के एक-एक लीटर के 15 जार रखे थे, के अमानक /मिथ्याछाप का शक होने एक-एक लीटर के 04 जारों को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री भगवान बजाज को सूचित करते हुए वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

नमूना जाँच खरीदा, जिसकी कीमत श्री भगवान बजाज को 1700/- रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक के स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री भगवान बजाज एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति श्री भगवान बजाज को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में लेवल तैयार कर लेवल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ घी(हरियाणा किंग) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेवल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **Q-2147** को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता यशपाल धूतएवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

(5) आवेदक ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। एक नमूना भाग मय फार्म न.6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर फार्म न. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है तथा दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियां आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमुहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक- 164 दिनांक 31.03.2023 के साथ सलंग्न जाँच रिपोर्ट संख्या LS/195/ACT/2023/222 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया घी (हरियाणा किंग) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब-स्टैण्डर्ड, मिसब्रांडेड एवं कोंट्राबर्स होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(7) यह है कि मैसर्स बजाज एण्ड कम्पनी द्वारा खाद्य विश्लेपक, अजमेर की जांच रिर्पोट से असंतुष्ट होने के उपरांत उन्होने पुनः जांच हेतु फार्म-8 मय डीडी के साथ आवेदन किया। जो सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(8) यह है कि नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया, जिसकी जांच सर्टिफिकेट क्रमांक RFL/P/DO-246/23/316/2023 दिनांक 14-06-2023 के अनुसार घी (हरयाणा किंग) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, मेमोरेडम एवं जांच सर्टिफिकेट सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(9) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने आवेदक खाध्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत कर अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन है।

(10) इस प्रकरण में श्री भगवान बजाज ने घी (हरयाणा किंग) का सब स्टैण्डर्ड, मिसब्रांडेड एवं कंट्राबेंस का विक्रय करके FSSA 2006 की धारा 3(1) (ZX) **Substandard(B R Reading 45.0in place of 40 to 44, Reichert Meissl value 13.98 in place of min 24, polansky value 0.31 in place of 0.5-2.0, iodine value 42.54 in place of 25 to 38, Saponification value 201.79 in place of 205 to 235, Test of presence of**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

foreign fat present Positive in place of shall be absent) धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना FSSA 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

(11) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 19.02.24 को अभियुक्त भगवान बजाज ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.03.23 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर श्री विशाल मितल द्वारा जिस घी (हरयाणा किंग) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(12) प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 22.02.24 को अभियुक्त व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों में यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

(13) प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2023 को समय 11:00 ए.एम. पर फर्म मैसर्स बजाज एंड कंपनी, मैन चौराहा रोड, छोटी खाटू में पहुंचा । वंहा पर श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज मिले । जिनको अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज, मालिक की हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया। खाद्यकारोबारकर्ता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(14) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर घी (हरयाणा किंग) के एक-एक लीटर के 15 जार रखे थे, के अमानक /मिथ्याछाप का शक होने एक-एक लीटर के 04 जारों को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री भगवान बजाज को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जाँच खरीदा, जिसकी कीमत श्री भगवान बजाज को 1700/- रूपये नकद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक के स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(15) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री भगवान बजाज एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति श्री भगवान बजाज को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(16) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ घी(हरियाणा किंग) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **Q-2147** को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता यशपाल धूतएवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

(17) आवेदक ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। एक नमूना भाग मय फार्म न.6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

जमा कराकर फार्म न. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है तथा दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियां आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमुहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(18) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक- 164 दिनांक 31.03.2023 के साथ सलंग्न जाँच रिपोर्ट संख्या LS/195/ACT/2023/222 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया घी (हरियाणा किंग) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब-स्टैण्डर्ड, मिसब्रांडेड एवं कोंट्रावर्स होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(19) यह है कि मैसर्स बजाज एण्ड कम्पनी द्वारा खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच रिर्पोट से असंतुष्ट होने के उपरांत उन्होने पुनः जांच हेतु फार्म-8 मय डीडी के साथ आवेदन किया। जो सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(20) यह है कि नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया, जिसकी जांच सर्टिफिकेट क्रमांक RFL/P/DO-246/23/316/2023 दिनांक 14-06-2023 के अनुसार घी (हरयाणा किंग) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, मेमोरेडम एवं जांच सर्टिफिकेट सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(21) धारा 26- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः-

(2) कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः-

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है।

**धारा 51-अवमानक खाद्य के लिए शास्तिः-**

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(22) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक-164 दिनांक 31.03.2023 की जाँच रिपोर्ट संख्या LS/195/ACT/2023/222 दिनांक 13.03.2023 से स्पष्ट है कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

उनके द्वारा लिया गया अनुसार घी (हरयाणा किंग) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब-स्टैण्डर्ड, मिसब्रांडेड एवं कोंट्रावर्स होना पाया गया है। उक्त भगवान बजाज को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेपित की गई, इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत किया। खाद्य प्रयोगशाला पुणे की जांच सर्टिफिकेट क्रमांक RFL/P/DO-246/23/316/2023 दिनांक 14-06-2023 से भी उक्त घी (हरयाणा किंग) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त दोनों जाँच रिपोर्टस से स्पष्ट है की इनके द्वारा विक्रित घी (हरयाणा किंग) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब-स्टैण्डर्ड, मिसब्रांडेड एवं कोंट्रावर्स होना पाया गया है। इस प्रकरण में श्री भगवान बजाज ने सब-स्टैण्डर्ड, मिसब्रांडेड एवं कोंट्रावर्स घी (हरयाणा किंग) का विक्रय करके FSSA 2006 की धारा FSSA 2006 की धारा **3(1)(ZX) Substandard(B R Reading 45.0in place of 40 to 44, Reichert Meissl value 13.98 in place of min 24, polansky value 0.31 in place of 0.5-2.0, iodine value 42.54 in place of 25 to 38, Saponification value 201.79 in place of 205 to 235, Test of presence of foreign fat present Positive in place of shall be absent)** धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना FSSA 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

इस प्रकार **सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म- मैसर्स बजाज एंड कंपनी, मैन चौराहा,रोड छोटी खाटू व मैसर्स श्री विजयलक्ष्मी ट्रेडर्स, शॉप न.10, दोजराज गणेश मंदिर रोड, डीडवाना दोषी व उतरदायी है।**

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 के तहत अभियुक्त **श्री भगवान बजाज पुत्र श्री सत्य नारायण बजाज जाति- अग्रवाल निवासी- रेलवे स्टेशन रोड, डीडवाना, फर्म- मैसर्स बजाज एंड कंपनी, मैन चौराहा,रोड छोटी खाटू पर रूपये 8000/-(अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) व श्री विजय कुमार पुत्र श्री गोपाल गोस्वामी, मैसर्स श्री विजयलक्ष्मी ट्रेडर्स, शॉप न.10, दोजराज गणेश मंदिर रोड, डीडवाना पर राशि रुपये 7000/-(अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।**

आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नागौर को भेजी जावे। दोनों अभियुक्तों से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट**
डीडवाना-कुचामन

निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। फैसला सरे इजलास न्यायालय सुनाया गया।

(श्योराम वर्मा)
**न्याय निर्णयन अधिकारी एवं**
**अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन**